न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :–पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–53/2025

01. बीनादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति अरोड़ा निवासी 25 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .

........प्रार्थीया

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–13.03.26

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 25 के. वाई.डी.–बी का मुरब्बा नं0 58/23 के किला नं0 1, 2/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 19/2, 20, 21/2, 22/3 में 1.9726 है0 इसप्रकार कुल 10 किता में 1.9726 है0 कमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका वह खातेदारी काष्तकार है। उक्त भूमि के संबंध में सभी उपयोग व उपभोग के अधिकार प्रार्थीया को प्राप्त है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीया काबिज काष्त चली आ रही है। प्रार्थीया की उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे सहवन से बीना देवी के स्थान पर वीनारानी दर्ज हो गया जो कि काफी वर्षो से वीनारानी के नाम से दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीया को यह पहले पता नहीं था ना ही उसने ध्यान दिया अभी प्रार्थीया ग्रहणी एवं पर्दानषीन औरत है जो कि अपनी भूमि के संबंध में के.सी.सी. जारी करवानी थी। उस समय प्रार्थीया को पता चला कि उसके राजस्व रिकॉर्ड विरास्तन नामान्तरण दर्ज होते समय बीनादेवी पत्नी कृष्णलाल के स्थान पर वीनारानी पत्नी कृष्णलाल चल रहा है जो गलत दर्ज है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम बीनादेवी ही है बचपन में उसे ग्रामीण भाषा में वीनारानी के नाम से पुकारते थे इसलिए उसके रिकॉर्ड में भी वीनारानी ही दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया के सभी रिकॉर्ड दस्तावेजों एवं समस्त आईडी इत्यादी जैसे आधारकार्ड, परिचय पत्र, राषन कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटरलिस्ट वगैरह से प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम बीनादेवी ही दर्ज है। श्रीमान जी बीनादेवी व वीनारानी मुझ प्रार्थीया को ही दोनो नाम से गांव में पुकारा जाता है जबकि वास्तविक एवं रिकॉर्डेड मेरा नाम बीनादेवी ही है अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का पेष कर निवेदन है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 25 के.वाई.डी.–बी का मुरब्बा न. 58/23 के किला नं. 1, 2/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 19/2, 20, 21/2, 22/3 में 1.9726 है0 इस प्रकार कुल 10 किता में 1.9726 है. कमाण्ड है। इस प्रकार कुल 10 किता में 1.9726 है0 कमाण्ड के राजस्व रिकॉर्ड में संषोधन करके प्रार्थीया का वास्तविक एवं रिकॉर्ड नाम वीनारानी के स्थान पर बीनादेवी दर्ज करने के आदेष करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, पहचानपत्र, जनआधार, वोटरलिस्ट, गिरदावरी इत्यादि की प्रति व ग्राम पंचायत 25 केवाईडी की तस्दीक प्रस्तुत की जिसके अनुसार बीनादेवी व बीनारानी दोनो एक ही औरत के नाम है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र /प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 25 के.वाई.डी.—बी का मुरब्बा न. 58/23 के किला नं. 1, 2/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 19/2, 20, 21/2, 22/3 में 1.9726 है0 इस प्रकार कुल 10 किता में 1.9726 है. कमाण्ड है। इस प्रकार कुल 10 किता में 1.9726 है0 कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम वीनारानी की जगह बीनादेवी संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वीनारानी नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वीनारानी नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम वीनारानी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 13.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)